रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1487] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 13, 2015/आषाढ़ 22, 1937
No. 1487] NEW DELHI, MONDAY, JULY 13, 2015/ASHADHA 22, 1937

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2015

**का.आ. 1880(अ).—**यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 465 (अ), तारीख 24 अप्रैल, 2002 द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 के 0.000 कि.मी. से 365.570 किलोमीटर (लखनऊ से फैजाबाद से गोरखपुर से उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' संदर्भित किया गया है) को सौंपा हैं;

और यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम (3) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा चार लेन के निम्नलिखित खण्डों के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों पर शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत करने के लिए प्राधिकरण को प्राधिकृत किया थाः

| खण्ड | धारा | का.आ.संख्या | तारीख |
|---|---|---|---|
| रारा–28 का 0.000 कि.मी. से 32.270 कि.मी. तक (विद्यमान चैनेज 252.860 कि.मी. से 279.800 कि.मी. तक) | उत्तर प्रदेश राज्य में गोरखपुर बाइपास | का.आ. 2624 (अ) | 30.10.2012 |
| रारा–28 का 279.800 कि.मी. से 320.800 कि.मी. तक | उत्तर प्रदेश राज्य में गोरखपुर–कास्या | का.आ. 39 (अ) | 03.01.2013 |
| रारा–28 का 320.800 कि.मी. से 366.800 कि.मी. तक | उत्तर प्रदेश राज्य में कास्या–उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा | का.आ. 1154 (अ) | 22.05.2012 |

और यतः, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में प्रचालन, अनुरक्षण और हस्तांतरण (ओएमटी) आधार पर रारा–28 के 279.800 कि.मी. से 360.915 कि.मी. (नया कि. मी. 285.002 से कि.मी. 366.117 कि.मी.) तक गोरखपुर बाइपास कास्या–उ0प्र0/बिहार सीमा सेक्शन के प्रचालन और अनुरक्षण हेतु और उत्तर प्रदेश राज्य में रारा –28 के 251.700 कि.मी. से 279.800 कि.मी. (नया चैनेज 252.860 कि.मी. से 285.215 कि.मी.)

तक बीओटी वार्षिकी सेक्शन हेतु (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त सेक्शन" संदर्भित किया गया है) 255.200 कि.मी. (नया कि.मी. 256.500) पर टोल प्लाजा पर टोल संग्रहण हेतु 16.02.2015 को प्राप्त बोली के लिए मैसर्स गोरखपुर कास्या टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 306–7, चांदनी अपार्टमेन्ट, 2/2 न्यू पलासिया इंदौर–450001, म.प्र. में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही" संदर्भित किया गया है), के साथ 22.05.2015 को करार किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त करार" संदर्भित किया गया है)।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 जिसे सा.का.नि. 838(अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2008 को प्रकाशित किया था और जिसमें सा.का.नि. 950(अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. 15(अ), तारीख 12 जनवरी, 2011, सा.का.नि. 756(अ), तारीख 12 अक्तूबर, 2011, सा.का.नि. 778(अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2013, सा.का.नि. 26(अ), तारीख 16 जनवरी, 2014 तथा सा.का.नि. 831(अ), तारीख 21 नवम्बर, 2014 द्वारा संशोधित किया गया था (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अधिसूचना संख्या का.आ. 2624 (अ), तारीख 30.10.2012, का.आ. संख्या 39(अ), तारीख 03.01.2013 और का. आ. सं. 1154(अ) तारीख 22.05.2012 का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पहले कर ली गई हों या करने से पहले लोप करा दी गई हों उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन पर हुए व्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातयात का दबाव, और प्राधिकरण तथा रियायतग्राही के बीच हुए उक्त करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि सड़क की निवल लम्बाई 80.618 कि.मी. और 2.768 कि.मी. की संरचना (जिसकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) एवं समकक्ष लम्बाई 27.680 कि.मी. के लिए, उक्त चार लेन के खण्ड के उपयोग हेतु स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के यांत्रिक वाहनों पर नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है) और दस करोड़ रुपए या अधिक की लागत वाले बाइपास की 30.084 कि.मी. लम्बाई के लिए आधार दर के डेढ़ गुना के हिसाब से शुल्क उद्ग्रहीत और संग्रहीत किया जाएगा और उक्त रियायतग्राही को प्राधिकरण द्वारा घोषित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, जो भी बाद में हो, उक्त करार में यथा–विनिर्दिष्ट समापन की तारीख तक, शुल्क को संग्रहीत एवं प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है:

**सारणी 1**

| वाहन का प्रकार | आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन | 0.65 |
| हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस | 1.05 |
| बस या ट्रक (दो धुरी वाले) | 2.20 |
| तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन | 2.40 |
| भारी संनिर्माण मशीनरी (भा.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.वा.) (चार से छह धुरी वाले) | 3.45 |
| बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले) | 4.20 |

1. नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए सड़क खण्ड की निवल लम्बाई हेतु, ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दर के 100% के हिसाब से, निम्नलिखित शुल्क शोध्य और संदेय होगा:

| क्रम संख्या | टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज) | टोलयोग्य खण्ड | लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है |
|---|---|---|---|
| 1 | रारा – 28 के जिला देवरिया में मुजायना हेतिम गांव के पास 307+820 कि.मी. (नया 313.372 कि.मी.) | 279.800 कि.मी. से 319.800 कि.मी. तक (नया 285.002 कि.मी. से 325.002 कि.मी.) | 39.678 (60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचनाओं की लम्बाई को छोड़कर) |
| 2 | रारा – 28 के कुशीनगर जिले में सलेमगढ़ गांव के पास 357+000 कि.मी. (नया 361.902 कि.मी.) | 319.800 कि.मी. से 360.915 कि.मी. तक (नया 325.002 कि.मी. से 366.117 कि.मी.) | 40.940 (60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचनाओं की लम्बाई को छोड़कर) |

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, 10 करोड़ रुपए या अधिक की लागतवाले निम्नलिखित बाइपास (बाइपासों) के उपयोग के लिए, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर, ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास (बाइपासों) की लम्बाई हेतु ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दर के 150% के हिसाब से, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

IndiaCode

| टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज) | टोलयोग्य खण्ड | बाइपास की लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है |
|---|---|---|
| रारा – 28 के जिला गोरखपुर में तेंदुआ गांव के पास रारा–28 (गोरखपुर बाइपास) का 255+200 कि.मी. (नया 256.500 कि.मी.) | 251.700 कि.मी. से 279.800 कि.मी. (नया 252.860 कि.मी. से 285.215# कि.मी.) | 30.084 कि.मी. (60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचनाओं की लम्बाई को छोड़कर) |

# गोरखपुर बाइपास का मिलान स्थल नया 285.215 कि.मी. पर है जबकि गोरखपुर–कास्या सेक्शन का प्रारंभिक स्थल नया 285. 002 कि.मी. पर है। 213 मीटर का यह उन्तर ( सेन्टर लाइन चैनेज के रूप में) उस चार लेन के सेक्षन का हिस्सा है जिसका उपयोग जंक्शन डिजाइन के लिए किया गया है।

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, 60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली निम्नलिखित संरचनाओं के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके संरचनाओं की लम्बाई को राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा।

| क्रम संख्या | टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज) | सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने वाली संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी.) में | बाइपास की लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है |
|---|---|---|---|
| 1 | रारा – 28 के जिला गोरखपुर में तेंदुआ गांव के पास रारा–28 (गोरखपुर बाइपास) का 255+200 कि.मी. (नया 256.500 कि.मी.) | 2.271* | 22.710 |
| 2 | रारा – 28 के जिला देवरिया में मुजायना हेतिम गांव के पास 307+820 कि.मी. (नया 313.372 कि.मी.) | 0.322** | 3.220 |
| 3 | रारा – 28 के कुशीनगर जिले में सलेमगढ़ गांव के पास 357+000 कि.मी. (नया 361.902 कि.मी.) | 0.175*** | 1.750 |

IndiaCode

* संरचनाओं (60 मीटर से अधिक लम्बाई वाली) का ब्यौरा नीचे दिए गए अनुसार है:

| क्रम संख्या | संरचना की प्रकृति | सामान्य लम्बाई (कि.मी. में) |
|---|---|---|
| i | 262.341 कि.मी. पर | 0.974 |
| ii | 264.335 कि.मी. पर | 0.409 |
| iii | 268.061 कि.मी. पर | 0.418 |
| iv | 277.239 कि.मी. पर | 0.396 |
| v | 278.983 कि.मी. पर | 0.074 |
| | **योग** | **2.271** |

** संरचनाओं (60 मीटर से अधिक लम्बाई वाली) का ब्यौरा नीचे दिए गए अनुसार है:

| क्रम संख्या | संरचना की प्रकृति | सामान्य लम्बाई (कि.मी. में) |
|---|---|---|
| i | 289.057 कि.मी. पर बड़ा पुल | 0.084 |
| ii | 310.033 कि.मी. पर बड़ा पुल | 0.073 |
| iii | 310.679 कि.मी. पर बड़ा पुल | 0.165 |
| | **योग** | **0.322** |

*** संरचनाओं (60 मीटर से अधिक लम्बाई वाली) का ब्यौरा नीचे दिए गए अनुसार है:

| क्रम संख्या | संरचना की प्रकृति | सामान्य लम्बाई (कि.मी. में) |
|---|---|---|
| i | 327.894 कि.मी. पर बड़ा पुल | 0.100 |
| ii | 345.579 कि.मी. पर बड़ा पुल | 0.075 |
| | **योग** | **0.175** |

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर–वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2015–16 के लिए मासिक पास की दर 230.00/– रूपए (दो सौ तीस रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा ।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

| संदेय राशि | अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या | विधिमान्यता की अवधि |
|---|---|---|
| एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना | दो | संदाय के समय से चौबीस घंटे |
| पचास या अधिक यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो–तिहाई | पचास या अधिक | संदाय की तारीख से एक मास |

6. जिस जिले में टोल प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

7. जो यांत्रिक वाहन नियम 4 के उपनियम (2) के अधीन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा, उसे तब तक राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग अथवा टोल प्लाजा पार नहीं करने दिया जाएगा जब तक कि ऐसे वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए। यांत्रिक वाहन के चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने हेतु नियम 4 के उप नियम (2) के अधीन, टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहन के लिए लागू शुल्क के दस गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट–प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

10. ऊपर सारणी–1 में यथा–उल्लिखित, आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। प्राधिकरण द्वारा उसे रियायतग्राही के माध्यम से अंग्रजी और स्थानीय भाषा के कम–से–कम एक–एक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया जाएगा। तत्पष्चात्, उक्त नियमों के नियम 5 तथा रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा और प्रकाषित किया जाएगा, परन्तु शर्त यह है कि शुल्क में पिछली बार की गई वृद्धि के 6 (छह) महीने की अवधि के भीतर कोई वृद्धि नहीं की जाएगी।

11. वाणिज्यिक प्रचालन की (संभावित) तारीख (01.07.2015) से वसूल की जाने वाली परियोजना की पूंजीगत लागत (30.06. 2015 के अनुसार) 1439.97 करोड़ रुपए (एक हजार चार सौ उनतालीस करोड़ सतानवे लाख रुपए मात्र) है। वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से रियायतग्राही द्वारा टोल का संग्रहण राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 जो सा. का.नि. 838 (अ) तारीख 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बोली की नियत तारीख तक उसमें किए गए संशोधनों सहित के अधीन लागू दरों पर किया जाएगा। जिस दिन को पूंजीगत लागत की वसूली हो जाएगी उस दिन से लिए जानेवाले प्रयोक्ताशुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा। यदि किसी स्थिति में, किसी वाहन से वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को 90 दिन तक पहले/स्थगित कर दिया जाता है तो वसूल की जानेवाली पूंजीगत लागत का फिर से हिसाब लगाया जाएगा और इस संबंध में इंजीनियर/स्वतंत्र इंजीनियरों द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन की वास्तविक तारीख के पश्चात् 30 दिन के अन्दर रियायतग्राही को सूचित कर दिया जाएगा।

[फा.सं. भाराप्रा/सीओ/15–16/जीसी गोरखपुर–कास्या (ओएमटी)]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2015

**S.O. 1880(E)—** Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 465(E) dated 24th April, 2002, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from km 0.000 to km 365.570 (Lucknow to Faizabad to Gorakhpur to Uttar Pradesh/ Bihar Border of National Highway No. 28 in the State of Uttar Pradesh and Bihar to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, in exercise of powers conferred by section 7 of National Highways Act, 1956 (48 of 1956) read with Rule (3) of National Highway Fee (Determination of Rules and Collection) Rules, 2008, the Central Government by notification of Government of India authorized Authority for levying and collecting fee on mechanical vehicles for the use of following four-laned stretches:

| Stretch | Section | S.O. No. | Dated |
|---|---|---|---|
| Km 0.000 to km 32.270 (existing chainage km 252.860 to km 279.800) of NH-28 | Gorakhpur Bypass in the state of Uttar Pradesh | S.O. 2624 (E) | 30.10.2012 |
| Km 279.800 to km 320.800 of NH-28 | Gorakhpur-Kasya in the state of Uttar Pradesh | S.O. 39 (E) | 03.01.2013 |
| Km 320.800 to km 366.800 of NH-28 | Kasya-Uttar Pradesh/ Bihar Border in the state of Uttar Pradesh | S.O. 1154 (E) | 22.05.2012 |

And whereas, pursuant to the provisions of section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an agreement (hereinafter referred to as the "said agreement") on 22.05.2015 with M/s Gorakhpur Kasia Tollways Private Limited, having its registered office at 306-7, Chandni Apartment, 2/2 New Palasia, Indore-450 001, MP (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), for the bid received on 16.02.2015, for the Operation and Maintenance of the Gorakhpur Bypass–Kasia–UP/Bihar Border section from Km 279.800 to Km 360.915 (New km 285.002 to km 366.117) of NH-28 on Operate, Maintain and Transfer (OMT) basis and toll revenue collection of Toll Plaza at km 255.200 (New Km 256.500) for BOT Annuity section from km 251.700 to km 279.800 (New Chainage 252.860 to km 285.215) of NH-28 in the state of Uttar Pradesh (hereinafter referred to as the "said section");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R 838(E) dated 5th December, 2008 and amended vide G.S.R 950(E) dated 3rd December, 2010, G.S.R 15(E) dated 12th January, 2011, G.S.R 756(E) dated 12th October, 2011, G.S.R 778(E) dated 16th December, 2013, G.S.R. 26(E) dated 16th January, 2014 and G.S.R. 831(E) dated 21st November, 2014 (hereinafter referred to as the "said Rules") and in supersession of the notification number S.O. No. 2624(E) dated 30.10.2012, S.O. No. 39(E) dated 03.01.2013 & S.O. No. 1154(E) dated 22.05.2012 except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section of the said national highway, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of said agreement between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the said four lane section on the Type of Vehicles specified in column(1) at the rate specified in columns (2) (hereinafter referred to as "base rate") of Table 1 below for net road length of 80.618 km & 2.768 km of structure (having more than 60 m length) with equivalent length of 27.680 km and at one and one half times the base rate for 30.084 km length of bypass costing Rupees Ten crore or more and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the said fees on and from the date of commercial operation declared by the Authority or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the said agreement;

**TABLE 1**

| **Type of vehicle** | **Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)** |
|---|---|
| (1) | (2) |
| Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle | 0.65 |
| Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus | 1.05 |
| Bus or Truck (Two Axles) | 2.20 |
| Three-axle commercial vehicles | 2.40 |
| Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles) | 3.45 |
| Oversized Vehicles (seven or more axles) | 4.20 |

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza(s) at 100% of the base rates specified in Table 1 above, for the net road length specified for such Toll Plaza(s):

| S. No. | Location of Toll Plaza (chainage) | Tollable section | Length (in km) for which Fee is payable |
|---|---|---|---|
| 1 | Km 307+820 (New Km 313.372) near Village Muzaina Hetim in District Deoria of NH-28 | km 279.800 to km 319.800 (New Km 285.002 to km 325.002) | 39.678 (Excluding length of structures >60m length) |
| 2 | Km 357+000 (New Km 361.902) near Village Salemgarh in District Kushinagar of NH-28 | km 319.800 to 360.915 (New Km 325.002 to km 366.117) | 40.940 (Excluding length of structures >60m length) |

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass(es) costing Rs 10 crore or more at the following Toll Plaza(s) at 150% of the base rates in Table 1 above for the length of bypass(es) specified for such Toll Plaza(s):

| Location of Toll Plaza(s) (chainage) | Tollable section | Length of bypass (in km) for which additional fee is payable |
|---|---|---|
| Km 255+200 (New Km 256.500) of NH-28 (Gorakhpur Bypass) near Village Tendua in District Gorakhpur of NH-28 | Km 251.700 to Km 279.800 (New Km 252.860 to km 285.215#) | 30.084 Km (Excluding length of structures >60m length) |

# The joining point of Gorakhpur Bypass is at new km 285.215 while starting point of Gorakhpur-Kasya section is at new km 285.002. This difference of 213m (as a centreline chainage) is part of 4-laned section which has been used for junction design.

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Toll Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

| S.No. | Location of Toll Plaza (chainage) | Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length | Equivalent road length (in km) |
|---|---|---|---|
| 1 | Km 255+200 (New Km 256.500) of NH-28 (Gorakhpur By pass) near Village Tendua in District Gorakhpur of NH-28 | 2.271* | 22.710 |
| 2 | Km 307+820 (New Km 313.372) near Village Muzaina Hetim in District Deoria of NH-28 | 0.322** | 3.220 |
| 3 | Km 357+000 (New Km 361.902) near Village Salemgarh in District Kushinagar of NH-28 | 0.175*** | 1.750 |

*The details of structures (> 60 m length) are as under:

| S. No. | Nature of Structure | Normal length (in km) |
|---|---|---|
| i. | At km 262.341 | 0.974 |
| ii. | At km 264.335 | 0.409 |
| iii. | At km 268.061 | 0.418 |
| iv. | At km 277.239 | 0.396 |
| v. | At km 278.983 | 0.074 |
| | **Total** | **2.271** |

**The details of structures (> 60 m length) are as under:

| S. No. | Nature of Structure | Normal length (in km) |
|---|---|---|
| i. | Major Bridge at km 289.057 | 0.084 |
| ii. | Major Bridge at km 310.033 | 0.073 |
| iii. | Major Bridge at km 310.679 | 0.165 |
| | **Total** | **0.322** |

***The details of structures (> 60 m length) are as under:

| S.No. | Nature of Structure* | Normal length (in km) |
|---|---|---|
| i. | Major Bridge at km 327.894 | 0.100 |
| ii. | Major Bridge at km 345.579 | 0.075 |
| | **Total** | **0.175** |

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 230.00 (Rupees Two Hundred and Thirty only) for the year 2015-16, which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

| Amount Payable | Maximum number of one way journeys allowed | Period of validity |
|---|---|---|
| One and half times of the fee for one way journey | Two | Twenty four hours from the time of payment |
| Two-third of amount of the fee payable for fifty or more single journeys | 50 (Fifty) or more | One month from date of payment |

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. A mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under sub-rule (2) of rule 4, shall not be permitted to use the National Highway or crossing the toll plaza until the excess load has been removed from such mechanical vehicle. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle shall be liable to pay fee, for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the toll collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicle under sub-rule (2) of Rule 4.

8. All definitions, category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with Rule 12 of the said Rules.

10. Based on the base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority. The same shall be got published by the Authority in at least one newspaper, each in English and vernacular language through the Concessionaire and thereafter revised annually in accordance with the rule 5 of the said Rules and provisions of the Concession Agreement and will be published; provided, however, that such revision shall not be effected until a period of 6 (six) months from the date of preceding revision of fee.

11. The Capital Cost of the project (as on 30.06.2015) to be recovered from the (probable) date of COD (01.07.2015) is Rs. 1439.97 Crore (Rupees One Thousand Four Hundred Thirty Nine Crore and Ninety Seven lakh). From the Commercial Operation Date (COD) toll shall be collected by the Concessionaire at the applicable rates provided under the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R. 838(E) dated 5th December, 2008 and further amendments till bid due date. After the day on which the Capital Cost is recovered, the user fee chargeable shall be reduced to 40% of the rates being charged. In case, due to any reason, COD is advanced/ postponed upto 90 days, the Capital cost to be recovered shall be reworked and intimated to the Concessionaire within 30 days after actual COD, by the Engineer/ Independent Engineers.

[F. No. NHAI/CO/15-16/GC Gorakhpur-Kasya (OMT)]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.